फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लछा **विपक्षी : श्री केसा**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 74/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 6 मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादीगण खातेदार काश्तकार होने से वादीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 6 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 6 द्वारा उपस्थित होकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 209, 225, 235 किता 3 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 6 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, मिट्टी नहीं खोदे, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले सुनाया गया। **(मयंक मनीष IAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.20 11:54:57 IST Reason: SelfAttested	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री लछा पिता माना भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
2. श्री चुनिया पिता कीका भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
3. मीरा पुत्री कीका पत्नी रता भील निवासी वीरधालिया हाल डिंगरकिया तह. मावली।
4. डाकु पुत्री कीका पत्नी कालु भील निवासी वीरधोलिया हाल खाम की मादडी तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री केसा पिता प्रथा भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
2. श्री राजु पिता प्रथा भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
3. श्री रूपा पिता रता भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
4. श्री रोशन पिता रता भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
5. श्री भग्गा पिता केसा भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
6. श्री नाथु पिता केसा भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 74/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00155

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 209, 225, 235 किता 3 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 6 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, मिट्टी नहीं खोदे, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:54:57 IST
Reason: SelfAttested